राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना–पत्र संख्या–(1–4) 30, 31, 32 व 33 / 2016......... जिला ....जयपुर...

उनवान : मै0 इंग्राम माइक्रो इण्डिया लिमि., जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राज.–I, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** **श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य**	
09 / 02 / 2016	माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 55 / 2016, 56 / 2016, 57 / 2016 व 58 / 2016 / जयपुर में संयुक्तादेश दिनांक 07.01.2016 पारित करते हुए, अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) को निर्देशित किया गया था कि प्रकरणों का एक माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जावे। अपीलीय अधिकारी द्वारा ये विविध प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया है कि प्रकरणों में महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु निहित हैं, जिनके अध्ययन व परीक्षण में समय लगने की सम्भावना है। अतः प्रकरणों के निस्तारण की समयावधि दो माह बढ़ाई जावे। बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री मोती कोटवानी व श्री डी. कुमार एवं प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री डी. पी. ओझा ने अपीलीय अधिकारी के स्तर पर प्रकरणों के निस्तारण की अवधि बढ़ाये जाने में कोई आपत्ति नहीं की गई। अतएव प्रकरणों की विशिष्ठ परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलीय अधिकारी के प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाकर अपील संख्या 55 / 2016, 56 / 2016, 57 / 2016 व 58 / 2016 / जयपुर में माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित संयुक्तादेश दिनांक 07.01.2016 द्वारा दी गई एक माह की समयावधि दिनांक 07.04.2016 तक बढ़ायी जाती है। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र उक्तानुसार निस्तारित किये जाते हैं। 9-2-2016 09/02/2016 **सदस्य** **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर** **अजमेर**	